ऑन लाईन नं. GCMS 2023/281

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 123/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रमन बंसल पुत्र श्री नरेश बंसल —विक्रेता —
2. श्री मती कविता शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा —मालिक—

मै0 कृष्णा ट्रेडर्स 128 शॉप नं. 3, को ऑपरेटिव प्रथम एरिया अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 23.02.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्रीमान् आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनों के प्रकरणों की अभियोजन समयसीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने की स्वीकृति प्रदान हेतु आदेशित किया गया है। आवेदक श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाक्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने श्रीमान अभिहीत अधिकारी गंगानगर से उनके पत्र कमांक 1242—43 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर परिवाद मा. न्यायालय में पेश किया।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.03.2022 को समय दोपहर 01 बजे मै. कृष्णा ट्रेडर्स, शाप नं. 3, कोऑपरेटिव प्रथम एरिया अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। मौके पर विक्रेता की हैसियत से श्री रमन बंसल पुत्र श्री नरेश बंसल को अपना परिचय देकर दुकान के अंदर रखे **सरसो तेल (राज सुपर)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान पर रखे 20 गत्ते के कार्टुन व प्रत्येक कार्टून में 500—500 एमएल की 30 पैक बोतल कुल 600 पैक बोतल **सरसो तेल (राज सुपर)** को आमजन बेचान हेतु बताया। दुकान में रखे **सरसो तेल (राज सुपर)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **सरसो तेल (राज सुपर)** का नमुना विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विकय हेतु उपलब्ध **सरसो तेल (राज सुपर)** की चार मूल बोतलों को विक्रेता से खरीद किया तथा मौके पर ही विक्रेता को उक्त कयशुदा **सरसो तेल (राज सुपर)** का नगद भुगतान 360 रुपए किया तथा केशमिमो बनवाया, जिस पर विक्रेता, गवाहान और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतिया तैयार कर विक्रेता एव गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रमन बंसल एव गवाहान ने पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री रमन बंसल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसो तेल (राज सुपर) 500–500** एमएल की चारो मूल बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1468** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एव मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप नं. के–1468** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रमन बंसल एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :– एलएस/474/एक्ट/2022/474 दिनांक 05.04.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1468 Misbransed Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रमन बंसल पुत्र श्री नरेश बंसल और श्री मती कविता शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा **मै0** कृष्णा ट्रेडर्स 128 शॉप नं. 3, को ऑपरेटिव प्रथम एरिया अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **सरसो तेल (राज सुपर)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद में दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसो तेल (राज सुपर)** का सैम्पल **K-1468** जांच रिपोर्ट क्रमांकएलएस/474/एक्ट/2022/474 दिनांक 05.04.2022 अनुसार खाद्य नमूना **K-1468 Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त सरसों के तेल में सुधार कर लिया है। और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil(Raj SUper)" bearing Code No and Sr. No. K-1468, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006.** पाया गया है कि जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री रमन बंसल पुत्र श्री नरेश बंसल और श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाये जाते हैं। फलतः अभियुक्त **श्री रमन बंसल पुत्र श्री नरेश बंसल और श्रीमती कविता शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से राशि रूपये 12,000–00 (अखरे रूपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर